मी टू : घर-घर है हैवानों की दुनिया!

भावना सहवाग

यूं तो उम्रभर यादों के बिछौने जिंदगी में गर्माहट भर देते हैं। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कितना भी पिछे धकेल लो वो एक काले साये की तरह आपके सामने पैर पसारे बैठी मिलती है।

ऐसी ही कुछ यादें मेरी जिंदगी में भी हैं, जो आज फ़िर से साफ़ पड़े आसमान में काले बादलों के समान उमड़ आई हैं। 32 साल, करीबन यही उम्र होगी उस औरत की जो दिखने में 40 से कम नहीं लगती। गोरा रंग, कद छोटा, शरीर की बनावट मेंने जब उसे पहली बार देखा था उससे कुछ अजीब सी। बिस्तर पर लेटी हुई धीमी आवाज़ में अपने बेटे को पुकार रही थी। मैं उनके पास खड़ी थी। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाभी।

हां वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। आज सुबह ही मैं दिल्ली से घर पहुंची थी और वो अस्पताल से। मालूम हुआ, उनके सिर में कोई बीमारी है जिस कारण वो बार-बार सिर पकड़ के चिल्लाती हैं। मेरी मां, ताई, चाची और मोहल्ले की अन्य औरतों ने इसे ऊपरी हवा का नाम दिया हुआ था। क्योंकि अस्पताल में इलाज के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं थी।

भाभी सुनते ही उन्होंने मेरी ओर मुड़कर देखा और मुरझाये हुए चेहरे पर एक सूखी हंसी के साथ मुझे बैठने को कहा। उनकी हालत के बारे में पूछने पर वो धीमी आवाज़ में बोलीं-पता नहीं दीदी क्या हुआ है, सिर में चीटियां चलती हैं और डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है।

वो इतना कहकर गुमसुम सी लेट गयी। मेरा अंदाजा बिल्कुल भी गलत नहीं था जो मैंने उनसे इस मुलाकात से पहले ही भांप लिया था। मां को उनकी दशा के बारे में बताने पर ना जाने क्यूं मेरे मन ने एक ही बात बोली थी कि ये किसी दरिंदे की दरिन्दगी का ही परिणाम है। सज़ा इस मासूम जान को मिल रही है जो आज से 9 साल पहले इस घर में आई थी।

9 साल पहले मेरी उम्र भी तकरीबन 14 साल की रही होगी। वैसे तो मैं घर से दूर रहकर ही पढी लेकिन गर्मी की छुट्टियां मेरी गांव में ही गुजरी। संयुक्त परिवार होने के कारण घर के काम का भी कभी दबाव न रहा और इत्तेफ़ाक से मैं पैदा ऐसे घर में हुई, जाट का परिवार गांव में एक पहुंचा हुआ घर, जो मुखिया कहे जाते थे।

पापा के चार भाई और भी थे जो उनसे बड़े थे। बड़े पापा का काम मटर की खरीद-फरोख्त का, इसलिये बड़ी संख्या में मज़दूरों का होना भी लाजमी है। मज़दूरों में औरतों की भी बड़ी संख्या थी, जिसमें 14 साल की लड़की से लेकर 50 साल की बुढिया थीं।

बात ऐसी ही गर्मी की छुट्टी की थी जब मैं पेड़ पर बैठी हुई थी। मुझे पेड़ पर चढ़ने और उतरने में अन्य बच्चों से अधिक वक्त लगता था। इसमें मेरे भारी शरीर का कसूर था। खैर, तभी मेरी नज़र पेड़ के नीचे दीवार के उस पार गयी जहां चार-पांच 20-25 वर्ष की उम्र के लड़के बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे। वहीं बरामदे में तीन लड़कियां मटर साफ़ कर रही थीं। उन लड़कों में से एक लड़का उठा और एक 16-17 वर्ष की लड़की को पास वाली कोठरी में ले गया। में ये देख कर पेड़ से नीचे उतरकर दीवार का चक्कर मार कर घर में पहुंची कि देखा वो लड़का वहीं बैठा था और एक दूसरा लड़का बरामदे से एक लड़की के साथ फ़िर गायब हो चुका था।

बात अचरज की थी लेकिन उन लड़कों ने मुझे डांट के घर भेज दिया कि तू यहां क्या कर रही है घर जा। और मेरे लिये हेरानी की बात ये थी कि इस बार गायब होने वाला लड़का मेरे बड़े पापा का बेटा था जो रिश्ते में मेरा भाई लगता था।

मैं ये देखकर घर पहुंची और पापा को बताया। उन्होंने भी मुझे डांट दिया। मैं नहीं जानती थी मुझे क्यों डांटा जा रहा है। गर्मियां गुजर गयीं और मैं वापस अपनी पढाई वाली जगह वापस आ चुकी थी।

साल भर बाद फ़िर घर गई तो इस बार एक नई खबर घर में उठी कि बराबर वाले घर का लड़का मेरी बुआ की बेटी की चारपाई के पास रात के वक्त आकर बैठता था। वो मुझसे दो साल बड़ी है और उस वक्त मुझसे ज़्यादा समझदार भी।

ये बात बुआ की बेटी ने घर पर बड़ी भाभी को बताई और उस लड़के को डांटा गया। काश! मैं भी बता पाती जब मेरे साथ भी ये ही होता था, आज से 3 साल पहले जब मैं घर आती थी। समझ मुझे कुछ नहीं थी लेकिन न जाने फ़िर भी दिल डर जाता था कि ये बात किसी को नहीं बतानी और इस डर का आलम ये हुआ कि मैं अपने ही घर आने में घबराने लगी। आ जाती थी तो सोने में और अकेले रहने में डरने लगी।

पहले का डर मन से गया ही था कि इस बार की घटना ने मन को बिल्कुल मसोस के रख दिया। रो-रोकर डर के साथ दिन-रात काटे लेकिन किसी को कुछ बताने की हिम्मत ना जुटा पायी। मेरे बड़े पापा के बेटे, हां वो ही जो उस लड़की को कोठरी में ले गये थे, मुझे जबरदस्ती अपने पास सुलाते थे। एक रात उन्होंने मुझे ऐसा छुआ कि मेरी रूह अन्दर तक कांप गयी। जैसे रूह समझ गयी हो कि तेरे जिस्म पर कोई कहर टूटने वाला है। मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ देना बन्द कर दिया और मुझे वहां से उठने की इजाजत ना दी। लेकिन दिमाग शायद इस हादसे को जान चुका था और मैं झट से उठकर दादी के पास चली गयी।

मेरे सूखे होठ ओर गर्म सांसे वो सारी कहानी चीख-चीख कर बयां कर रही थी लेकिन मैं उन्हें पिंजरे में ही कैद रखना चाहती थी। रो-रो कर उस बात को जहन से दूर करना चाहती थी। लेकिन मन उसे अपने अन्दर गड़ा के बैठ गया था।

मैं वो बात शायद सबको बता देती लेकिन उस वक्त सब की सहानभूति उनके साथ होती। कुछ ही महीने पहले हिमाचल में मटर के ट्रक के साथ वहां से नीचे गिरने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बन्द कर चुका था और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। सब ऐसा ही कहते थे और मैं भी खुद को यही समझा लेती थी। जब मैं बड़ी हुई तो इन यादों को स्याही से लिखे कागज पर पड़ी बूंद के समान धुंधला चुकी थी जिसे मैं फ़िर भी भुला न पायी। उनके साथ अकेले रहना या कहीं जाना आज भी मुझे गवांरा नहीं।

अभी कुछ ही साल पहले की बात हुई मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने पड़ौस की ही एक भाभी का हाथ पकड़ कर कुछ बद्तमीजी की। हालांकि मेरी बड़ी मम्मी और उस व्यक्ति की धर्म पत्नी को उस औरत की ही गलती नज़र आई। उस इन्सान का खौफ़ पीड़ित परिवार के दिल में ऐसा घर कर गया कि उन लोगों ने अपना घर ही वहां से बदल लिया। इस बारे में मेरी बात मेरी बहन (बुआ की बेटी) से हुई ओर जो उसने बताया वो मेरे लिये उस वक्त चौंकने वाला था।

पिछले तीन-चार साल में वो इस बार छुट्टियों में यहां आई थी। उसने बताया कि उसे उसकी मम्मी (मेरी बुआ) ने यहां आना मात्र बन्द इसलिये किया था क्योंकि उसी भैया ने ये हरकत उसके साथ भी की थी। उसके अलावा मेरे दूसरे ताऊ की बेटी के साथ और अपनी ही बड़ी भाभी के साथ भी। जिन के लिये उनकी धर्म पत्नी बोलती थी कि ''वो ही मेरे पति को अपने जाल में फंसा रही थी। वो तो अपने पति को छोड़कर शादी भी इनसे (भैया से) करने को बात कह रही थी।''

मेरी आंखों के सामने अंधेरा तो उस वक्त छा गया जब उसने बोला कि उसने मेरी मम्मी का भी एक बार अकेले में हाथ पकड़ लिया था। मेरी आंखों में आंसू की बूंदें ऐसे आ गयी जैसे काले बादलों के बरसने की शुरुआत हो।

उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या करुं कि मैं अकेली नहीं हूं या इस बात का गम कि सब के साथ यही हुआ है और होता रहेगा। ''तुने मुझे दुर्गा कहा, काली कहा, लक्ष्मी कहा, वो भी मैंने सह लिया। तूने मुझे ताड़का कहा, सूर्पनखा कहा, वो भी मैं सह गयी। लेकिन तेरी ही आग की एक चिंगारी जब मेरे अंदर उतर गयी, तो तूने क्यूं मुझे वेश्या कहा।''

ये पंक्तियां मायने देती हैं इस बात को कि एक भेड़िये की इतनी है हैवानियत के बाद भी वह परिवार का चहेता बना रहा। मेरे ही परिवार की एक बहू जो किसी दूसरे लड़के के साथ घूमने जाती है या बातें करती है, उसे बदचलन कह दिया जाता है। उसने किसी आदमी का हाथ नहीं पकड़ा था, किसी को गलत छुआ नही था। जिसके साथ घूम रही थी वो लड़का अपनी मर्जी से उसके साथ था। फ़िर भी वो तो बदचलन और वो शैतान, घर का लाड़ला। वाह रे दुनिया!

इन घटनाओं से आप समझ ही गये होंगे कि शुरू में आयी भाभी इन्हीं महाशय की धर्मपत्नी हैं जो बिस्तर पर पड़ी तड़प रही हैं।

इस इंसान की हरकतें बस मेरे घर तक नहीं थमी हुई थीं। सुनने में ऐसा ही आया था कि अपने मामा की बेटियों और छोटे भाई की बीबी के साथ भी इसका यही रवैया रहा। इन औरतों के बारे में सोचकर मुझे अमेरिकी पत्रकार ग्रेटेचेन कार्लसन की ये लाइनें याद आ जाती हैं-

यह इतना अविश्वसनीय हो कि 2017 में लगभग हर एक महिला की यौन उत्पीड़न के बारे में एक कहानी है।

जैसी एक कहानी आज मेरी कलम से निकली। वैसी ही न जाने कितनी कहानियां मेरे ही घर की औरतों के जेहन में दफ़न होंगी।

घर के मर्द जिस शान शौकत और जाति की मर्दानगी बाहरी दुनिया में झाड़ देते हैं, घर की औरत उतने ही आन्तरिक रूप से उत्पीड़न झेलती रहती है। आज मुझे इस संदर्भ में भाई-बहन के रिश्ते से इतनी बू आती है, जितनी मेरी मां को मां-बेटे के और भाभी को भाभी-देवर के रिश्ते से आती होगी।

अगर मुझे मेरे अनचाहे रिश्ते तोड़ने का अधिकार मिल जाये तो मुझे अकेलेपन को चुनने में शर्मिंदगी न होगी।

फिटनैस का मोदी गिमिक

गिरीश मालवीय

क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठौर को अचानक फिटनेस को लेकर क्यों रुचि जाग जाती है, और उनके चैलेंज पर विराट कोहली भी तुरन्त पुशअप मारने लगते हैं, और वह मोदी को चैलेंज देते हैं, और मोदी इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं?

दरअसल ये सारे हथकंडे पीआर एजेंसियों के रचे हुए हैं। नये-नये गिमिक रचने में इस एजेंसियों को महारत हासिल है। यह अमेरिकी ट्रेन्ड है और हर अमेरिकी ट्रेंड को कुछ समय बाद भारत मे इस्तेमाल किया जाता है।

पीआर एजेंसियो का काम ही होता है 'ब्रान्डिंग और इमेजबिल्डिंग' जिससे नेताओं या पार्टी की समाज में सकारात्मक छवि बनायी जा सके। ख़ास तौर पर इस वक्त सरकार के खिलाफ़ बन रही नकारात्मक छवि को सकारात्मक बनाया जाना बेहद ज़रूरी है।

आप को यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा लेकिन इन बीस सालों में दुनिया बहुत बदल गयी है। आज सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों लोग अपना वोटिंग-व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए पीआर एजेंसियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वर्चुअल स्पेस की दुनिया में जो लोगों को आभास कराया जाता है, वे वही मानना शुरु कर देते हैं।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत 241 मिलियन (24.1 करोड़) फेसबुक यूज़र्स के साथ दुनिया में पहले पायदान पर है और भारत में फेसबुक के 50 फ़ीसदी से ज्यादा यूजर्स की उम्र 25 साल से कम हैं। और इतनी बड़ी आबादी आपकी ओर हमारी तरह कोई संवाद करने इस फ़ेसबुक पर नहीं आती। वह अपनी सेल्फ़ी दिखाने के लिए फेसबुक पर आती है। तो जब उसे लगता है कि यूथ आइकॉन रहा विराट कोहली मोदी जी को फिटनेस चेलेंज दे रहा है तो वह एकबारगी भूल जाता है कि बेरोज़गारी वाक़ई कोई समस्या भी है। उसे याद नहीं आता कि डीजल-पेट्रोल के दाम रिकार्ड तोड़ चुके हैं, न उसे याद आता है कि शिक्षासंस्थानों को किस तरह से कम सरकारी फंडिंग कर उसे प्राइवेट किये जाने की ओर धकेला जा रहा है।

उसे आईपीएल से मतलब है और विराट कोहली की फ़िटनेस से। ...यह सब पीआर एजेंसियाँ अच्छी तरह से समझती हैं। एक विचारक हुए है राबर्ट पुकवम। उन्होंने अपनी 'सोशल कैपीटल थ्योरी' के हवाले से कहा है कि पहले हम 30 मिनट सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे, पर आज यह घटकर मात्र 12 मिनट ही रह गया है। इन 12 मिनटों में भी कैसे अपना संदेश देश के युवा तक पहुँचाया जाय, यह पीआर एजेंसियों के लिए चैलेंज़ है।

सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की बौद्धिक प्रक्रिया को बाधित करना ताकि सिर्फ़ व सिर्फ़ वे लोग वही मानें जो इन्हें दिखाया जा रहा है। यह पूरा खेल सिर्फ़ इसी सिद्धान्त के आसपास रचा जाता है।

क्राइम ब्रांच ने कहा बनारस पुल हादसे में नामजद एफआईआर की नहीं कोई जरूरत

जनज्वार, वाराणसी। 15 मई को हुए बनारस पुल हादसे में अबतक एक भी नामजद एफआईआर नहीं, सरकार और पुलिस की सोशल मीडिया पर हो रही खूब खिंचाई, लोग आरोप लगा रहे कि सरकार और पुलिस कर रही आरोपियों का बचाव पर जनज्वार ने सच खोज निकाला, पढ़िए नामजद एफआईआर से क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं

प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा निर्माणाधीन फ्लाई ओवर का एक पिलर अचानक गिरने से 15 मई की शाम दर्जनों गाड़ियां उसके नीचे आ गईं, जिससे 18 लोगों (सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इससे कई ज्यादा मौतें हुई हैं) की मौत हो गयी।

मामला प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के होने के कारण राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई और रात में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घटना स्थल पर पहुंचे थे।

पुलिस ने भी तत्काल एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की और अपनी ओर से पुल बना रहे विभाग सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर नामजद नहीं की।

इस गंभीर चूक के मामले में नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज करने से सोशल मीडिया में लगातार लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं और बहुतों को लग रहा है कि 18 लोगों की मौत के मामले में रिपोर्ट न दर्ज करना, अधिकारियों, ठेकेदार और जिम्मेदार कंपनी को बचाने की अंदरखाने में कोशिश है।

इस मामले में जनज्वार ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है नामजद एफआईआर की।

पर सवाल है कि जब अपराध पुलिस मानती है फिर अपराध चाहे किसी व्यक्ति ने किया हो, चाहे वह किसी संस्था या कंपनी में हो? बिना नामजद रिपोर्ट दर्ज किए किसी व्यक्ति यानी दोषियों के खिलाफ अदालत कैसे सजा मुकर्रर करेगी।

पर 15 मई को हुए वाराणसी के सेतु निगम के पुल हादसे मामले की जांच की अगुवाई कर रहे क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद कहते हैं, 'सेतु निगम के अज्ञात अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज कर दिया गया है कि तत्काल दारोगा को कैसे पता चलेगा कि कौन—कौन अधिकारी थे, कौन नहीं थे। इसके लिए विवेचना होती है और उसमें सभी संलिप्तों का नाम लिखा जाता है। और अब सभी का नाम लिख लिया गया है।'

जनज्वार ने जब उनसे यह जानना चाहा कि एफआईआर में नाम हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह दोषियों को बचाने की पुलिसिया कलाकारी तो नहीं होती?

एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद कहते हैं, 'चूंकि एफआईआर सेतु निगम के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां कोई एक व्यक्ति नहीं था। जांच में जैसे—जैसे संदिग्धों और संलिप्तों का नाम आता जाएगा, हम विवेचना उसे शामिल कर लेते हैं। और शामिल कर भी लिया है पर इसे मीडिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। असल चीज विवेचना है, विवेचना ही तय करेगी कि जांच किस दिशा में और कितनी गंभीर है।'

जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की बात के बाद जनज्वार ने अपने सहयोगी विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसआर दारापुरी से बात की और जानना चाहा कि अधिकारी के बात में कोई झोल तो नहीं, कहीं कोई चालाकी तो नहीं है?

उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसआर दारापुरी कहते हैं, 'इस मामले में दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली की एफआईआर किसके द्वारा दर्ज कराई गयी है और किन धाराओं में। अगर एफआईआर पुलिस ने अपनी तरफ से अज्ञात की दर्ज की है तो एफआईआर में नाम दर्ज करना जरूरी नहीं है। सेतु निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना में आरोपियों को शामिल कर सकती है। इससे जांच प्रभावित नहीं होती और न ही इस तरीके से पुलिस पर संदेह नहीं किया जा सकता।'

उम्मीद है जनज्वार की यह खोजबीन पाठकों को यह समझने और जानने में मदद करेगी कि नामजद एफआईआर न होने से बनारस पुल हादसे की जांच प्रभावित नहीं होगी।